



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2012/भाद्र 28, 1934

No. 202]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2012/BHADRA 28, 1934

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2012

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (चौथा संशोधन) विनियम, 2012
(2012 का 19)

सं. 116-15/2012-एमएन.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60वें दिन से लागू होंगे।
2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) (जिसे इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 11 के उप-विनियम 4 एवं उप-विनियम 6 में वर्णित "एक घंटा" शब्द को "दो घंटे" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. मूल विनियमों के अध्याय—III के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय को अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:

" अध्याय - III क

विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के फलस्वरूप वित्तीय अनुत्साहन

- 17क विनियम 8 अथवा विनियम 10 अथवा विनियम 11 अथवा विनियम 12 के उपबंधों के उल्लंघन के परिणाम - (1) यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 8 के उप-विनियम (6) अथवा विनियम 10 अथवा विनियम 11 के उप-विनियम (4) अथवा विनियम 11 के उप-विनियम (6) का उल्लंघन करता है, तो उसके लाइसेंस की निबंधन और शर्तों, अधिनियम अथवा नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों अथवा जारी आदेशों अथवा इसके तहत जारी निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो कि प्रत्येक उल्लंघन के मामले में पांच हजार रुपए अथवा जैसा प्राधिकरण आदेश द्वारा निदेश देगा, से अनधिक नहीं होगी।
- (2) यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह उसके लाइसेंस की निबंधन और शर्तों, अधिनियम अथवा नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों अथवा जारी आदेशों अथवा इसके तहत जारी निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो कि पोर्टिंग के अनुरोध के गलत तरीके से अस्वीकृत करने के प्रत्येक मामले में दस हजार रुपए अथवा जैसा प्राधिकरण आदेश द्वारा निदेश देगा से अनधिक नहीं होगी।
- (3) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के तहत वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से किसी धनराशि के भुगतान के संबंध कोई भी आदेश प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जाएगा जब तक की सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए विनियम के उल्लंघन के

विरुद्ध अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

17ख इन विनियमों के अधीन वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से भुगतान की जाने वाली धनराशि को जमा किया जाना—इन विनियमों के तहत वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से भुगतान की जाने वाली धनराशि को खाते के ऐसे शीर्ष में जमा किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा।”

राजीव अग्रवाल, सचिव

[विज्ञापन—III/4/142/12/असा.]

टिप्पणी 1: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन(खंड-II) दिनांक 23 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित एवं निम्न के द्वारा संशोधित किए गए—

- (क) अधिसूचना संख्या: 116-1/2010 दिनांक 28 जनवरी, 2010 (2010 का 1)
- (ख) अधिसूचना संख्या: 116-1/2010 दिनांक 24 नवम्बर, 2010 (2010 का 5)
- (ग) अधिसूचना संख्या: 116-5/2012 दिनांक 08 जून, 2012 (2012 का 6)

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन, इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किए थे, जिनमें देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी संव्यवहार प्रक्रिया ढांचा निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण के दिनांक 18 जनवरी, 2011 के निर्देश द्वारा देश के सभी दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में दिनांक 20 जनवरी, 2011 से इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13 लागू हुए।

2. उपर्युक्त विनियमों में किसी सेवा प्रदाता के लिए दाता प्रचालक के रूप में कार्य करने और विनियमों के विनियम 12 में उल्लिखित आधारों के तहत पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करने के उपबंध भी किए गए हैं।

3. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियमों के कार्यान्वयन के पश्चात्, प्राधिकरण को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें उपभोक्ताओं ने यह जानकारी दी कि उनके पोर्टिंग अनुरोध को दाता प्रचालक द्वारा तुच्छ आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया। इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या पोर्टिंग अनुरोध को विनियमों के विनियम 12 के आधार पर अस्वीकार किया जा रहा है, प्राधिकरण ने उन संबंधित सेवा प्रदाताओं से सहायक दस्तावेज मंगवाए जिन्होंने 'यूपीसी मेल न होने', 'सर्विदागत बाध्यता', 'नए कनेक्शन के चालू होने की तिथि से 90 दिन की कम अवधि' तथा 'बकाया भुगतान देयता' जैसी श्रेणियों में पोर्टिंग अनुरोधों को अस्वीकार किया गया है तथा प्राधिकरण ने यह नोट किया कि अनेक मामलों में दाता प्रचालकों ने इस बात के संबंध में, संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, जिनके आधार पर उनके द्वारा उपभोक्ताओं के पोर्टिंग अनुरोधों को विनियम-12 के अनुसरण में अस्वीकार किया गया है।

4. इसके अलावा, प्राधिकरण ने विनियमों में पोर्टिंग प्रक्रियाओं के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की प्रगति की समीक्षा करते हुए, प्राधिकरण ने यह नोट किया कि प्राधिकरण द्वारा विनियम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा में भी अंतर आ रहा है।

5. प्रचालकों द्वारा पोर्टिंग अनुरोधों को गलत तरीके से अस्वीकार करने के प्रति हतोत्साहित करने तथा उन्हें मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकरण ने विनियमों का अनुपालन न किए जाने के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियमों में वित्तीय अनुत्साहन के उद्ग्रहण किए जाने के संबंध में उपबंधों को लागू किए जाने के बारे में हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने का निर्णय लिया। तदनुसार, भादूविप्रा ने 03 अगस्त, 2012 को हितधारकों के साथ परामर्श हेतु अपनी वेबसाइट पर इस विषय पर विनियमों में संशोधन का मसौदा डाला गया। 13 अगस्त, 2012 तक मसौदा विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थी। इसके अलावा, हितधारकों के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा हितधारकों से टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि को बढ़ा कर 03 सितम्बर, 2012 कर दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में हितधारकों ने मोटे-तौर पर विनियम में वित्तीय अनुत्साहन आरंभ करने संबंधी प्राधिकरण की शक्तियां, विनियमों में निर्धारित समय-सीमा का पालन न किया जाना तथा गलत तरीके से अनुरोध अस्वीकार किए जाने पर वित्तीय अनुत्साहन पर टिप्पणियां की। प्राधिकरण ने इस टिप्पणियों का विश्लेषण किया, जिन्हें नीचे दिया गया है :

6. विनियम में वित्तीय अनुत्साहन आरंभ करने के संबंध में प्राधिकरण की शक्तियां

सेवा प्रदाताओं तथा संघों ने अपने टिप्पणियों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि प्राधिकरण के पास विनियमों के उपबंधों का पालन न किए जाने के लिए सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाने का सांविधिक अधिदेश नहीं है। प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं तथा उनके संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया तथा उन्हें परामर्श दिया कि दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने तथा दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, प्राधिकरण के पास वित्तीय अनुत्साहन लगाने की शक्तियां हैं। भादूविप्रा अधिनियम, प्राधिकरण को न केवल विनियमित करने बल्कि विनियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी शक्तियां प्रदत्त करता है। "सुनिश्चित" करना शब्द में अनिवार्यता का लक्षण है और इसका अभिप्राय "निश्चित बनाना" है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2104/2006 (केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी और अन्य बनाम सीईआरसी और अन्य) में अपने 17.08.2007 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह माना है कि यह सुस्थापित तथ्य है कि "प्रवर्तन की शक्ति के अंदर विनियमित करने की शक्ति निहित है।"

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 को अधिनियमित किए जाने का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट होता है और जो भादूविप्रा पर अनुप्रयोजनीय हैं, वे हैं :-
(क) दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना; (ख) दूरसंचार सेवाओं के सेवा प्रदाता तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना; और (ग) दूरसंचार क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। भादूविप्रा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के पठन से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है।

यह उल्लेख करना संदर्भ से इतर नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे असंख्य निर्णय दिए गए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने बार-बार इस सिद्धांत को दोहराया है कि किसी भी विधान का इस प्रकार से पठन एवं विवेचना की जानी चाहिए कि इससे इसके अधिनियमन के उद्देश्य को सफल बनाया जा सके न कि इसका मुख्य उद्देश्य ही विपथित हो जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम विश्वभारती हाऊस बिल्डिंग सहकारी सोसायटी और अन्य [(2004) 5 एससीसी 430] मामले में अरविन्द दास बनाम असम राज्य और अन्य [एआईआर 1981 गुवाहाटी 18(एफबी)] में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसमर्थन में उद्धृत किया, जिसमें न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि जहां एक संविधि द्वारा शक्ति प्रदत्त की जाती है, वहां ऐसी शक्ति का अभिप्राय है कि उस शक्ति का

6. विनियम में वित्तीय अनुत्साहन आरंभ करने के संबंध में प्राधिकरण की शक्तियां

सेवा प्रदाताओं तथा संघों ने अपने टिप्पणियों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि प्राधिकरण के पास विनियमों के उपबंधों का पालन न किए जाने के लिए सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाने का सांविधिक अधिदेश नहीं है। प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं तथा उनके संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया तथा उन्हें परामर्श दिया कि दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने तथा दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, प्राधिकरण के पास वित्तीय अनुत्साहन लगाने की शक्तियां हैं। भादूविप्रा अधिनियम, प्राधिकरण को न केवल विनियमित करने बल्कि विनियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी शक्तियां प्रदत्त करता है। "सुनिश्चित" करना शब्द में अनिवार्यता का लक्षण है और इसका अभिप्राय "निश्चित बनाना" है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2104/2006 (केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी और अन्य बनाम सीईआरसी और अन्य) में अपने 17.08.2007 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह माना है कि यह सुस्थापित तथ्य है कि "प्रवर्तन की शक्ति के अंदर विनियमित करने की शक्ति निहित है।"

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 को अधिनियमित किए जाने का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट होता है और जो भादूविप्रा पर अनुप्रयोजनीय हैं, वे हैं :—
(क) दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना; (ख) दूरसंचार सेवाओं के सेवा प्रदाता तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना; और (ग) दूरसंचार क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। भादूविप्रा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के पठन से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है।

यह उल्लेख करना संदर्भ से इतर नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे असंख्य निर्णय दिए गए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने बार-बार इस सिद्धांत को दोहराया है कि किसी भी विधान का इस प्रकार से पठन एवं विवेचना की जानी चाहिए कि इससे इसके अधिनियमन के उद्देश्य को सफल बनाया जा सके न कि इसका मुख्य उद्देश्य ही विपथित हो जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम विश्वभारती हाऊस बिल्डिंग सहकारी सोसायटी और अन्य [(2004) 5 एससीसी 430] मामले में अरविन्द दास बनाम असम राज्य और अन्य [एआईआर 1981 गुवाहाटी 18(एफबी)] में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसमर्थन में उद्धृत किया, जिसमें न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि जहां एक संविधि द्वारा शक्ति प्रदत्त की जाती है, वहां ऐसी शक्ति का अभिप्राय है कि उस शक्ति का

प्रयोग करने के लिए विधिसम्मत कदम उठाए जाएं। जबकि, ऐसा हो सकता है कि ऐसे कदमों को संविधि में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया हो। माननीय न्यायालय ने आगे यह भी माना कि इस बात का निर्धारण करने में क्या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा दावाकृत शक्तियां संविधि द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों की अनुषंगी अथवा सहायक शक्तियां होंगी, न्यायालय को न केवल यह देखना चाहिए कि क्या शक्तियां संविधि के उपबंधों को न्यायोचित विवक्षा से प्राप्त हुई हैं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि क्या ऐसी शक्तियां संविधि के उपबंधों के प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु आवश्यक हैं, जो प्राधिकरण को ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने हेतु शक्तियां प्रदत्त करता है। उक्त निर्णय का संगत भाग निम्नवत् पठित है:—

“हमारा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि जब कोई संविधि शक्तियां प्रदान करती है तो ऐसी शक्ति का अभिप्राय है कि उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए सभी विधिसम्मत कदम उठाए जाएं जबकि ऐसा हो सकता है कि इन कदमों को संविधि में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया हो। उस स्थिति में जब नियम बनाने वाला प्राधिकरण किसी सार्वजनिक स्वरूप का कार्य करने के लिए कतिपय प्राधिकार देता है, तो ऐसे प्राधिकरण को अंतिम रूप से शक्तियों के प्रयोग को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु अंतर्वर्ती कदम उठाने के लिए शक्ति प्राप्त होनी चाहिए अन्यथा निर्णायक शक्ति भ्रामक, बेतुकी और निष्क्रिय सिद्ध होगी जो कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण की मंशा के विपरीत होगा।

यह निर्धारित करने के लिए क्या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा दावाकृत शक्तियां, संविधि द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों की अनुषंगी या सहायक कही जा सकती हैं, न्यायालय को न केवल यह देखना चाहिए कि क्या शक्तियों को संविधि के उपबंधों को औचित्यपूर्ण विवक्षा से प्राप्त किया जा सकता है बल्कि यह भी देखना चाहिए कि क्या ऐसी शक्तियां, संविधि के उपबंधों के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं, जो ऐसी शक्तियों को प्रयोग करने की शक्तियां प्राधिकरण को प्रदत्त करता है।”

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के प्राधिकरण के प्राथमिक कर्तव्यों के अलावा, भादूविप्रा को भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अंतर्गत ऐसे अन्य कृत्य जिनमें ऐसे प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यकरण निष्पादित करने की शक्तियां प्राप्त हैं, जो अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। यहां यूपी कॉर्पोरेट केन यूनियन फेडरेशन बनाम वेस्ट यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन एण्ड अदर्स (एआईआर 2004 एससी 3697) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना तर्क संगत होगा, जिसमें माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि विनियंत्रित करने के लिए उपयोग किया गया शब्द एक

व्यापक प्रभाव वाला शब्द हो सकता है, जिसका व्यापक अर्थ हो सकता है, जिसमें अधिनियम में विशिष्ट रूप से उल्लिखित अर्थ के साथ-साथ इसके सभी पहलू शामिल हो सकते हैं। बल्कि सदाशयता से विनियम में परिकल्पित अनुषंगी शक्तियां भी सम्मिलित हैं और इसका अर्थ उस संदर्भ में निर्धारित किया जाना होगा जिसमें इसे उपयोग किया जा रहा है तथा जो संविधि का प्रयोजन है। माननीय न्यायालय ने यह माना कि जबकि अधिनियम में प्रशुल्क निर्धारित करने की शक्तियां स्पष्ट प्रदत्त नहीं की गई थीं, गन्ने के मूल्य को विनियंत्रित करने की शक्ति में स्वतः ही प्रशुल्क निर्धारित करने की शक्तियां सम्मिलित होंगी। दूसरे शब्दों में किसी प्राधिकरण के पास स्पष्ट रूप से निहित नहीं की गई शक्ति को इस प्रकार से निहित माना जाएगा जैसे कि यह नियंत्रित किए जाने की व्यापक, सामान्य शक्ति में अंतर्भूत हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय का संगत भाग निम्नवत है:-

"20 "विनियंत्रित" करने का अभिप्राय नियम द्वारा नियंत्रित या समायोजित करना अथवा शासी सिद्धांतों पर परखना है। यह एक व्यापक प्रभाव वाला शब्द है जिसका व्यापक अभिप्राय है, जिसमें अधिनियम में विशिष्ट रूप से उल्लिखित न केवल सभी पहलू शामिल हैं बल्कि इसके तहत सदाशयता से विनियम में परिकल्पित अनुषंगी शक्तियां भी सम्मिलित हैं तथा इसके अर्थ का निर्धारण उस संदर्भ में किया जाना होगा, जिसमें इसे उपयोग किया गया है तथा जो कि संविधि के प्रयोजनार्थ है

26..... अधिनियम के उपर्युक्त उपबंध यह भी दर्शाते हैं कि विधायिका ने गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने की आपूर्ति, चीनी फैक्टरियों द्वारा इसके क्रय तथा तत्संबंधी भुगतान मूल्य के विषय में काफी व्यापक उपबंध किए हैं। वास्तव में, नियमों तथा 1954 के आदेशों में काफी व्यापक और विस्तृत उपबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने की आपूर्ति के समय उसके भार तथा मूल्य को सटीकता से दर्ज किया जा सके तथा उन्हें 14 दिनों के अंदर इसके मूल्य का भुगतान किया जा सके, ऐसा न करने पर चीनी फैक्टरी ब्याज का भुगतान करेगी। इन परिस्थितियों में, एक अकाट्य निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि राज्य सरकार के पास निहित विनियामक शक्तियों में गन्ने के मूल्य को निर्धारित करने की शक्ति भी शामिल होगी। अगर यह माना

जाता है कि विनियामक शक्तियों के तहत यदि कोई राज्य मूल्य निर्धारण नहीं कर पाता है तो 1953 के अधिनियम, नियमों तथा 1954 के आदेश में अंतर्विष्ट सांविधिक उपबंध पूर्ण रूप से एकपक्षीय हो जाएंगे। जो कि पूर्ण रूप से चीनी फैक्टोरियों के लाभ के लिए प्रचालन करेंगे तथा बिना किसी समवर्ती बाध्यताओं के अनेक लाभ पहुंचाएंगे और गन्ना उत्पादकों पर अनेक प्रतिबंधों के साथ उन्हें संकट में ही रहने देंगे। विधायिका की यह मंशा कभी भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार के प्रतिबंधात्मक तरीके से अधिनियम तथा नियमों का पठन उचित नहीं होगा जबकि गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिए किए गए उपबंध पूर्ण रूप से भ्रामक हो जाएं.....”

इसलिए प्राधिकरण का मत है कि भादूप्रा अधिनियम के तहत अपने कार्यकरण के प्रभावी निर्वहन के लिए तथा दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण के विनियमों के उपबंधों के अननुपालन के लिए सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाने की शक्तियां प्राप्त हैं।

7. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किए जाने हेतु वित्तीय अनुत्साहन

(क) पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर प्राप्तकर्ता/अदाता प्रचालक द्वारा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को उपभोक्ता के ब्यौरे प्रस्तुत करना - प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोधों को अग्रपिप्त करने हेतु समय-सीमा के संबंध में, कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा कहा गया कि उपभोक्ता द्वारा किए गए पोर्टिंग अनुरोधों की "टाइम स्टैम्प" का समय निर्धारित करने के संबंध में कोई उपबंध मौजूद नहीं है। कुछ हितधारकों ने यह सुझाव भी दिया कि भादूप्रा को समय-सीमा का पालन न करने हेतु मामले की न्यूनतम संख्या विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए। उपभोक्ता के सत्यापन संबंधी कड़े दिशा-निर्देश को भी एक बाध्यता बनाया गया। प्राधिकरण का मत है कि सेवा प्रदाता, दिनांक को संदर्भ मानते हुए विनियमों का अनुपालन कर सकता है। इसके अलावा, सेवा प्रदाता

पोर्टिंग समय के अंत में ही उपभोक्ता को अपने नेटवर्क पर एक्टिवेट करता है। अतः सेवा प्रदाता के पास उपभोक्ता का सत्यापन करने हेतु पर्याप्त समय होता है।

- (ख) दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध को केवल चौथे कार्य दिवस पर ही अनुमति प्रदान किया जाना

हितधारकों ने यह उल्लेख किया है कि दाता प्रचालक द्वारा चार दिनों से भी अधिक का समय लिए जाने पर भी मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रक्रियाओं की समय-सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक हितधारक ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में न्यूनतम सीमा 98 प्रतिशत होनी चाहिए। प्राधिकरण ने यह पाया है कि सेवा प्रदाता द्वारा पोर्टिंग अनुरोध पर चौथे कार्यदिवस से पूर्व ही अनुमति दी जा रही है, जो कि लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिकूल है। प्राधिकरण का मत है कि पोर्टिंग अनुरोध पर केवल चौथे कार्य दिवस में अनुमति दी जानी चाहिए, चूंकि यह एक सुरक्षा अपेक्षा है। इसलिए, प्राधिकरण को हितधारकों के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई वैध कारण नज़र नहीं आया है, अतः कोई भी छूट अनुमेय नहीं है।

- (ग) एक्टिवेशन तथा डी-एक्टिवेशन के लिए समय-सीमा

कुछ हितधारकों ने एक्टिवेशन तथा डी-एक्टिवेशन हेतु नेटवर्क खराब होने (डाउन टाइम)/लेटेंसी से जुड़े मुद्दों के अलवा समय-सीमा को 2 घंटे से संशोधित कर 4 घंटे करने के संबंध में सुझाव दिया गया। एक हितधारक ने 95 प्रतिशत न्यूनतम पोर्टिंग अनुरोधों को एक माह के औसत 2 घंटे की समयावधि के भीतर पूरा करने का सुझाव दिया। हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकरण का मत है कि समय-सीमा पालन करने हेतु नेटवर्क के खराब होने (डाउन टाइम) के समय की छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रचालकों को अपनी प्रणालियों/प्रक्रियाओं को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए ताकि

एक्टिवेशन और डी-एक्टिवेशन प्रभावित न हो। इन समय-सीमा का पूर्ण पालन करने में सेवा प्रदाताओं की मौजूदा स्थिति पर ध्यान देते हुए, प्राधिकरण ने महसूस किया कि वे किसी मोबाइल नम्बर के एक्टिवेशन तथा डी-एक्टिवेशन प्रत्येक को 2 घंटों की अवधि की समय-सीमा के अंदर पूरा करने में सक्षम होंगे। अतः मूल विनियम के विनियम 11 के उप-विनियम (4) और (6) में समय-सीमा को संशोधित कर एक घंटे से दो घंटे कर दिया गया है। चूंकि यह क्रियाकलाप रात्रि के समय होता है, अतः समय-सीमा में इस वृद्धि से उपभोक्ताओं को असुविधा नहीं होगी।

(घ) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया में अनुरोधों को गलत तरीके से अस्वीकार किए जाने तथा समय-सीमा के उल्लंघन के मामले में वित्तीय अनुत्साहन

कुछ हितधारकों ने यह सुझाव दिया कि गलत तरीके से निरस्त के मामले में सेवा गुणवत्ता के मानदण्ड होने चाहिए। कुछ हितधारकों ने अमान्य निरस्तीकरण के मामले में भी न्यूनतम संख्या का सुझाव दिया। तथापि, प्राधिकरण ने यह नोट किया कि गलत तरीके से निरस्तीकरण के मामलों को सेवा गुणवत्ता के मानदण्ड के रूप में कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं है चूंकि गलत तरीके से निरस्तीकरण का पता केवल सत्यापन के बाद ही पता चलता है। इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि नमूना आधार पर पोर्टिंग अनुरोधों को निरस्त किए जाने की सटीकता का पता लगाने के पश्चात् ही संबंधित दाता प्रचालक पर वित्तीय अनुत्साहन का उद्ग्रहण कर गलत तरीके से किए जाने वाले निरस्तीकरणों को हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

8. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने वित्तीय अनुत्साहन का उद्ग्रहण करने के संबंध में उपबंधों को सम्मिलित कर मूल विनियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

9. दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोधों की निरस्त किए जाने की सटीकता का पता लगाने या समय-सीमा के अनुपालन के प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण, एक्सेस प्रदाता अथवा मोबाइल नम्बर

पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं अथवा दोनों से समय-समय पर पोर्टिंग अनुरोधों के निरस्तीकरण के संबंध में आंकड़े मंगवा सकता है। एक्सेस प्रदाता या मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों एवं अनुषंगी सूचना के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण संबंधित एक्सेस प्रदाता पर निम्न वित्तीय अनुत्साहन आरोपित कर सकता है:

- (क) उन मामलों में जहां प्राधिकरण द्वारा विनियम 8(6), 10, 11(4) अथवा 11(6) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुरूप विनियमन का उल्लंघन पाया जाता है, उनमें प्रत्येक उल्लंघन के लिए 5000/-₹ की वित्तीय अनुत्साहन राशि का आरोपित किया जाएगा।
- (ख) उन मामलों में जहां एक्सेस प्रदाता, डाटा प्रचालक के रूप में कार्यरत है, के द्वारा विनियमन का उल्लंघन किए जाने की पुष्टि होती है, उनमें प्रत्येक अस्वीकृति के लिए 10,000/-₹ की वित्तीय अनुत्साहन राशि का आरोपित किया जाएगा।

10. उल्लंघन तथा वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाने के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व, प्राधिकरण संबंधित सेवा प्रदाता को प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने का एक उचित अवसर प्रदान करेगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2012

Telecommunication Mobile Number Portability (Fourth Amendment) Regulations, 2012

(19 of 2012)

No. 116-15/2012-MN.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Fourth Amendment) Regulations, 2012.
(2) They shall come into force sixty days from the date of publication in the Official Gazette.
2. In regulation 11 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) (herein after referred to as the principal regulations), in sub-regulation (4) and sub-regulation (6), for the words “one hour” wherever occurring, the words “two hours” shall be substituted.
3. After chapter III of the principal regulations, the following chapter shall be inserted, namely;-

**“CHAPTER III A
FINANCIAL DISINCENTIVES FOR CONTRAVENTION OF THE
PROVISIONS OF THE REGULATIONS**

17A – Consequence for contravention of the provisions of regulation 8 or regulation 10 or regulation 11 or regulation 12 .— (1) If any service provider contravenes the provisions of sub-regulation (6) of regulation 8 or regulation 10 or sub-regulation (4) of regulation 11 or sub-regulation(6) of regulation 11, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or, directions issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial disincentive, not exceeding five thousand rupees for each contravention, as the Authority may, by order direct.

(2) If any service provider contravenes the provisions of regulation 12, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or, direction issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial disincentive not exceeding ten thousand rupees for each wrongful rejection of the request for porting, as the Authority may, by order direct.

(3) No order for payment of an amount by way of financial disincentive under sub-regulation (1) and sub-regulation (2) shall be made by the Authority unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the regulation observed by the Authority.

17B – Deposit of amount payable by way of financial disincentive under these regulations.— The amount payable by way of financial disincentive under these regulations shall be remitted to such head of account as may be specified by order by the Authority.”

RAJEEV AGRAWAL, Secy.

[ADVT.-III/4/142/12/Exty.]

Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, part III, section 4 vide notification No. 116-4/2009-MN (Vol.II) dated 23rd Sept. 2009 and amended vide:

- a) Notification no. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010)
- b) Notification no. 116-1/2010 dated 24th November, 2010 (5 of 2010)
- c) Notification no. 116-5/2012 dated 8th June, 2012 (16 of 2012)

Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

Explanatory Memorandum

The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 laying down the basic business process framework for implementation of mobile number portability in the country. The regulation 6,7,8,9,10,11,12 and 13 of the regulations came into effect in all telecom service areas in the country from 20th January 2011 through the Authority's direction dated 18th January, 2011.

2. In the aforesaid regulations, provisions have been made for a Service Provider, acting as a Donor Operator, to reject a porting request under the grounds mentioned in regulation 12 of the regulations.

3. After implementation of the MNP Regulations, the Authority had received a number of complaints wherein the subscribers have reported that their porting requests have been rejected by the donor operators on frivolous grounds. In order to ascertain whether the porting requests being rejected are as per the provisions of regulation 12 of the regulations, the Authority sought supporting documents from the concerned Service Providers who have rejected porting requests under categories such as 'UPC mis-match', 'contractual obligation', 'less than 90 days from the date of activation of new connection' and 'outstanding payment due'. In a number of cases, the Authority noted that the Donor Operator, could not furnish satisfactory evidence to establish that the rejection of the porting requests of the subscribers done by them were in accordance with the regulation 12.

4. Further, in the regulations, the Authority specified timelines for various activities for the porting process. While reviewing the progress of MNP, the Authority

noted that deviations are also taking place in the timelines specified by the Authority in the regulation.

5. In order to discourage the operators for wrongly rejecting the porting requests and to encourage them to meet the time lines specified in the MNP regulations, the Authority decided to seek comments from the stakeholders on introduction of provisions for levying of financial disincentives in the MNP regulations for non-compliance of regulations. Accordingly, TRAI placed the draft amendment in the regulations on the subject on its website on 3rd August 2012 for consultation with the stakeholders. The comments of the stake holders on the draft regulations were solicited by 13th August 2012. Further, on request of stakeholders the Authority had extended the last date for submission of comments by stake holders up to 3rd September 2012. In their response, the stakeholders had commented broadly on the Power of Authority for introducing financial disincentives in the regulations, financial disincentives on deviation from timelines & wrongful rejections in the regulations. The Authority has analysed these comments, which are given below:

6. Power of the Authority for introducing financial disincentives in the regulations:

The service providers and the Associations have in their comments, inter-alia, stated that the Authority lacks statutory mandate to impose financial disincentive on the service providers for non-compliance of the provisions of the regulations. The Authority has considered the points raised by the service providers and their associations and have been advised that it has power to impose financial disincentives on the service providers in order to regulate the telecom sector and to protect the interest of the consumers of the telecom sector. The TRAI Act confers power on the Authority not only to regulate but also the power to ensure the compliance of the provisions of the regulations. The word “ensure” has mandatory connotation, it means “make certain”. Furthermore, the Hon’ble Supreme Court, in its judgment dated the 17, Aug, 2007, in *Civil Appeal No. 2104/2006 (Central Power Distribution Co. & Ors Vs. CERC & Anr)*, inter-alia, held that “it is well settled that a power to regulate includes within it power to enforce”.

The main purposes for enactment of the TRAI Act, 1997, as discernable from the preamble thereof, and as applicable to TRAI are (a) to regulate telecommunication services : (b) to protect the interest of the service providers and consumers of telecommunication services; and (c) to ensure orderly growth of telecom sector. From the reading of the various provisions of TRAI Act, it is clear that protection of the interest of the consumers has been given paramount importance by the legislature.

It will not be out of place to mention that there are a catena of judgments by the Supreme Court wherein the Hon'ble Court has repeatedly re-stated the proposition that legislation should be read and interpreted so as to further the purpose of its enactment and not in a manner that derogates from its main objectives. The Hon'ble Supreme Court in its judgment in the case of *State of Karnataka Vs. Vishwabharthi House Building Co-operative Societies and Ors.* [(2004) 5 SCC 430], quoted with approval the judgment of Hon'ble Guwahati High Court in the case of *Arbind Das Vs. State of Assam & Ors.* [AIR 1981 Gau 18 (FB)] wherein it was inter-alia, held that where a statute gives a power, such power implies that legitimate steps may be taken to exercise that power even though these steps may not be clearly spelled out in the statute. The Hon'ble Court further held that in determining whether a power claimed by a statutory authority can be held to be incidental or ancillary to the powers specially conferred by the statute, the court must not only see whether the power may be derived by reasonable implication from the provisions of the statute, but also whether such powers are necessary for carrying out the purposes of the provision of the statute which confers power on the Authority in exercise of such powers. The relevant part of said judgment reads as under:-

"We are of firm opinion that where a statute gives a power, such power implies that all legitimate steps may be taken to exercise that power even though these steps may not be clearly spelt in the statute. Where the rule-making authority gives power to certain authority to do anything of public character, such authority should get the power to take intermediate steps in order to give effect to the exercise of the power in its final step, otherwise the ultimate power would become illusory, ridiculous and inoperative which could not be the intention of the rule-making authority.

In determining whether a power claimed by the statutory authority can be held to be incidental or ancillary to the powers expressly conferred by the statute, the court must not only see whether the power may be derived by reasonable implication from the provisions of the statute, but also whether such powers are necessary for carrying out the purpose of the provisions of the statute which confers power on the authority in its exercise of such power."

Apart from casting duty on the Authority to protect the interest of the consumer, TRAI Act under section 11 (1)(d) confers power on TRAI to perform such other functions including such administrative and financial functions as may be necessary to carry out the provisions of the Act. It is also worthwhile to mention over here the judgment of the Hon'ble Supreme Court in U.P. Cooperative Cane Unions Federations Vs. West U.P. Sugar Mills Association & Ors. (AIR 2004 SC 3697) wherein the Hon'ble court, inter alia, held that the word to regulate is a phrase of broad impact having a wide meaning comprehending all facets not only specifically enumerated in the Act, but also embraces within its fold the powers incidental to the regulation envisaged in good faith and its meaning has to be ascertained in the context in which it is being used and the purpose of the statute. The Hon'ble court held that even when the power to fix tariff was not expressly given in the Act, the power to regulate the price of Sugar Cane would include in itself the power to fix tariff. In other words, even a power not explicitly vested with the authority would be held so vested, if it was intrinsic to the exercise of larger, general power to regulate. The relevant part of the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court is as under :-

"20....."Regulate" means to control or to adjust by rule or to subject to governing principles. It is a word of broad impact having wide meaning comprehending all facets not only specifically enumerated in the Act, but also embraces within its fold the powers incidental to the regulation envisaged in good faith and its meaning has to be ascertained in the context in which it has been used and the purpose of the statute.

.....
.....
.....

26.....*The provisions of the Act referred to above also show that the legislature has made very elaborate provisions regarding supply of sugarcane by cane-growers, its purchase by the sugar factories and payment of price thereof. In fact, very detailed and exhaustive provisions have been made in the Rules and the 1954 Orders to ensure that at the time of delivery of sugarcane by the cane-growers, its weight and price is correctly recorded and the price is paid to them within 14 days, failing which the sugar factory is liable to pay interest. In such circumstances, the irresistible conclusion which can be drawn is that the regulatory power possessed by the State Government shall also include the power to fix the price of the sugarcane. If it is held that the State under its power of regulation cannot fix the price, then the statutory provision contained in the 1953 Act, the Rules and 1954 Order will become completely one sided, operating entirely for the benefit of sugar factories giving them many advantages with no corresponding obligations and leaving the cane grower in a lurch with a host of restrictions upon him. This can never be the intention of the Legislature. It will not be fair to read the Act and the Rules in such a restrictive manner, whereby the provisions made for the benefit of the cane growers become wholly illusory...."*

The Authority is, therefore, of the view that in order to effectively discharge its functions under TRAI Act and to protect the interest of the consumer of the telecom sector, it has power to impose financial disincentives on the service provider for non-compliance of the provisions of the regulations.

355041/12-5

7. Financial disincentives for deviating from time lines prescribed in the MNP process:

a) Recipient operator to submit customer details to MNP service provider within 24 hours of receipt of porting request:-

Regarding the timelines for forwarding the porting requests by the recipient operator, few service providers stated that there is no provision for time stamp for the requests of porting made by the subscriber. Some of the stake holders suggested that TRAI should specify threshold for number of cases for not meeting the time lines. Stringent subscriber verification guidelines, was also mentioned as one of the constraints in meeting the timelines. The Authority is of the opinion that the service provider can comply with the regulations with date as a reference. Further, service provider is activating the subscriber in his network only at the end of porting period. Therefore, it has sufficient time to verify the subscriber.

b) Donor Operator to provide the clearance to the porting request only on the 4th working day:-

Stake holders expressed that there is no effect on the timelines of the MNP processes even if the Donor Operator takes more than four days. One of the stake holder suggested that threshold in such cases should be 98%. It has been observed by the Authority that the service providers have been clearing the porting request before 4th working day, which is against the instructions issued by the licensor. The Authority is of the view that clearance of the porting request should be done only on the 4th working day as it is the security requirement. Therefore, the Authority finds no reason for acceding to the request of the stakeholders and hence no relaxation is allowed.

c) Time lines for Deactivation and Activation:-

Some of the stake holders suggested for modification of time lines from 2 hours to 4 hours excluding network down time/latency related issues for deactivation and activation. One of the stakeholders suggested the threshold of 95% of the porting

requests within 2 hours averaged over one month. Having considered the comments of the stakeholders the Authority is of the view that the network downtime cannot be a reason for non compliance with the time lines. The operators should schedule their systems/processes so as the activations and deactivations are not disrupted. Considering the present status of the service providers in meeting these time lines, the Authority felt that they will be able to meet these timelines within 2 hours duration each for deactivation and activation of a mobile number. Therefore timelines for activation/deactivation, in sub-regulation (4) and (6) of Regulation 11 of principal regulations, has been modified from 1 hour to 2 hours. As this activity takes place during the night time, this increase in the timelines will not be inconvenient to the customers.

d) Financial disincentive in case of wrongful rejections and deviation in timelines in the MNP process

Some of the stakeholders suggested that wrongful rejections should have a QoS norm. Some of the stakeholders suggested benchmarks for invalid rejections also. However, the Authority is of the opinion that it will not be practical to prescribe wrongful rejection as QoS parameter, as wrongful rejections are known only after verification is carried out. Therefore, Authority is of the view that wrongful rejections need to be discouraged by levying financial disincentives on the concerned Donor Operator after verifying the correctness of rejection of porting requests on sample basis.

8. In view of the foregoing, the Authority has decided to amend the principal regulations by incorporating provisions for levying financial disincentives.

9. For the purpose of verification of correctness of rejection of porting requests by the Donor Operator or compliance to the timelines, the Authority may call for data from Access Providers or Mobile Number Portability Service providers or both from time to time. Based on the analysis of the data and supporting information provided by the

MNP service providers and Access Providers, the Authority shall levy financial disincentives on the concerned access provider as following:

(a) In the cases where deviation is noticed by the Authority in the timelines specified in regulation 8 (6), 10, 11(4) or 11(6), a financial disincentive of Rs.5,000/- will be levied for each contravention.

(b) In the cases where contravention is established in rejection of porting request for an Access Provider acting as Donor Operator, a financial disincentive of an amount of Rs. 10,000/- will be levied for each rejection.

10. Before reaching to a conclusion about contravention and imposing the financial disincentives, the Authority shall give a reasonable opportunity to the concerned Service Provider to represent before the Authority.
